न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 327/2017

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए., ट्यूबवैल जो कि चक 3 ई सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 11, किला नम्बर 13 में स्थित को पानी के लिए अण्डर ग्राऊण्ड पानी की पाइप की स्वीकृति होतु

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संदीप बिश्नोई अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 30.11.2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि चक 3 ई बडी सैकिण्ड (द्वितीय) में मुश्तर्का खाता में कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13 में इन्जन है। एक टयूबवैल लगा रखा है जिसमें कृषि भूमि सिंचित होती है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि चक 3 ई बडी प्रथम में मुरब्बा नम्बर 1 में बारानी भूमि 18 से 25 है। जिसकी सिंचित होने की संभावना नहीं है। उक्त कृषि भूमि बंजर हो रही है। प्रार्थी का जीवन निर्वाह केवल कृषि कार्य से चलना है।

उक्त रास्ते में प्रार्थी अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन ले जाने की स्वीकृति चाहता है। इस अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन के ले जाने का रास्ता इस चक 3 ई सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में तथा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में सरकारी रास्ता स्वीकृत है एवं इस रास्ते में अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन ले जाने में किसी काश्तकार को कोई ऐतराज नहीं है तथा सरकारी रास्ते के नीचे 4 फीट गहरी पाइप लाइन ले जाने पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। सम्बन्धित प्रकरण में श्रीमान् न्यायालय जो भी शर्तें नियत करे वह प्रार्थी मानने के लिए एवं जो भी राजकीय खर्चे होंगे वह देने हेतु प्रार्थी तैयार व तत्पर है। सम्बन्धित तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से इस अण्डर ग्राउण्ड पाइप की स्वीकृति के बाद ही प्रार्थी अण्डर पाइप की खुदाई शुरू करेगा तथा अण्डर ग्राउण्ड से किसी प्रकार के मानवीय क्षति या अन्य आर्थिक क्षति किसी प्रकार से अन्य काश्तकारों को नहीं होने देगा इसके लिए समुचित व्यवस्था करेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पाइप लाइन केवल मुरब्बा लाइन के रास्ते पर ही डालेगा। इस दौरान किसी भी काश्तकारों की फसल को कोई नुकसान आदि नहीं पहुंचाएगा। सम्पूर्ण खर्चा खुदाई इत्यादि प्रार्थी स्वयं करेगा तथा पाइप डाल कर पुनः भरवाई निहित हितों की पालना करेगा।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर पटवारी हल्का से मंगवाई जाकर अण्डर ग्राउण्ड पाइप डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस उभ्यपक्ष की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 3 ई बडी सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13 में लगे ट्यूबवैल से शुरू होकर किला नम्बर 14, 15 में (किला नम्बर 17—18 की बट से चिपती हुई) से होती हुई मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1—10—11 के सरकारी रास्ता से होती हुई मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 5—4—3—2—1 के सरकारी रास्ता की अण्डरग्राउंड पाइप लाइन की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

1. पाइप लाइन भूमि में चार फीट गहराई में दबाई जावेगी।
2. पाइन लाइन में किसी प्रकार की खराबी होने के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाइप लाइन की मरम्मत के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपने खर्चे पर रास्ते की मरम्मत की जावेगी।
3. प्रार्थी द्वारा पाइप लाइन डालने से पूर्व 4 फुट चौडाई का मुआवजा डी.एल.सी. दर से दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को होगा। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं की जावेगी।
5. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाइप लाइन उखाडने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तथा प्रार्थी को अपने खर्चे से पाइप लाइन उखाडनी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाइप लाइन नहीं उखाडी जाती है तो विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के पाइप लाइन को उखाड दिया जावेगा जिसके समस्तज खर्चे का भुगतान प्रार्थी से वसूल किया जावेगा।
6. रास्ते में आने वाली पुलिया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा पाइप लाइन डालते वक्त यदि पुलिया क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी मरम्मत प्रार्थी द्वारा अपने खर्चे पर करवाई जावेगी।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 30.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर